न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या –48/2019 (प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नं0 2019/00225

रोडूलाल आत्मज कान्हा जाति भील निवासी हाल ग्राम खींमच तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
जरिये मुख्तार आम श्री आरिफ हुसैन पुत्र खलीलुरर्हमान जाति मुसलमान निवासी सडक किनारे खीमच तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

––प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जरिये महाप्रबन्धक (ताक0) एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना, कार्यनवयन ईकाई (एन.एच.52) ए–504 इन्द्रा विहार कोटा राज0

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अतर्गत धारा–3 जी–5 नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 एवं संशोधन अधिनियम 1997 सपठित मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर, अभिभाषक प्रार्थी
2. सुश्री महेन्द्रा कुमारी अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक :–23.11.2021

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं संशोधन अधिनियम 1997 सपठित मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 के तहत प्रस्तुत करसक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.–52 की चौडीकरण एवं निमार्ण के अन्तर्गत अन्य भूमियों के साथ ग्राम कूकडाखुर्द तहसील रामगंजमण्डी स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 372 किस्म बारानी द्वितीय में स्थित मजदूरों के क्वार्डर हेतु मुआवजा राशि अपने निर्णय दिनांक 9.8.2019 से मजदूरों के नाम मुआवजा राशि निर्धारित की जाने पर उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.8.2019 को पेश किया गया है ।

जिला कलक्टर
कोटा

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । अप्रार्थी नं0 1 की ओर से एडवोकेट सुश्री महेन्द्रा वर्मा का वकालतनामा पेश हुआ । प्रार्थी की ओर से एडवोकट श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर उपस्थित । राजकीय अभिभाषक उपस्थित । उपस्थित उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

3. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है रोडूलाल पुत्र कान्हा ने उक्त आराजियात के सम्बन्ध में एक पावर ऑफ ऑटर्नी आरिफ हुसैन पुत्र खलीलुरर्हमान निवासी खीमच के पक्ष में आलेखित कर रखी है तथा उक्त मुख्तार नामा खसरा नम्बर 371 व 372 ग्राम कूकडाखुर्द की आराजीयात के सम्बन्ध में मुआवजा कार्यवाही मुआवजा राशि प्राप्त करनें व अन्य समस्त राजकीय गैर राजकीय कार्य करने, शपथ पत्र देने व अन्य समस्त कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान कर रखे है । राष्ट्रीय राजमार्ग–52 की चौड़ीकरण एवं निमार्ण के अन्तर्गत ग्राम कूकडाखुर्द तहसील रामगंजमण्डी में उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि पर स्थित संरचनाओं की जांच एवं उस पर स्थित मजदूरों के क्वार्टर हेतु मुआवजा राशि बाबत मकानात हेतु कार्यवाही की गयी थी, इस पर प्रार्थी ने अपना क्लेम पेश करते हुए दिनांक 29.8.2018 को उक्त भूमि में स्थित मकानों का मुआवजे का भुगतान हेतु निवेदन किया गया और यह तथ्य अंकित किया गया था कि उक्त प्रार्थी की उपरोक्त खाते की आराजियात में सिथत मकानों का निमार्ण प्रार्थी द्वारा किया गया था और उक्त मजदूर भी अस्थायी तौर पर कार्य के दौरान निवास कर रहे थे तथा उक्त मकान भी प्रार्थी की मिल्कियती सम्पत्ति है, इसका भुगतान मुझ प्रार्थी के अलावा किसी अस्थाई श्रमिक या मजदूर को नहीं किया जावें । किन्तु प्रतिपक्षी क्रम–1 व 2 प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए बिना प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना एवं साक्ष्य आदि का अवसर प्रदान किए बिना दिनांक 9.8.2019 को खसरा नम्बर 373 ग्राम कूकडाखुर्द तहसील रामगंजमण्डी में स्थित प्रार्थी के अस्थाई श्रमिकों के मकानात का अवैध रूप से मुआवजा तय कर भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया, खसरा नम्बर 372 में स्थित विभिन्न व्यक्तियों के मुआवजा राशि का अवार्ड मनमाने तौर पर बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए ही निश्चित कर दिया जबकि इन व्यक्तियों का उपरोक्त आराजियात में स्थित क्वाटरों पर किसी प्रकार का कोई कानूनी हक स्वामित्व, कोई पट्टा या किसी भी प्रकार का कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था तथा जो व्यक्ति अस्थायी तौर पर कार्य के दौरान कार्य करते थे और उक्त आराजियात पर समस्त क्वार्टरों का एक मात्र मालिक स्वामी प्रार्थी ही था, लेकिन अदालत ने मुआवजा तय करने के आदेश दिनांक 9.8.2019 द्वारा प्रार्थी के पक्ष में उपरोक्त आराजियात का मुआवजा तय न कर मनमाने तौर पर बिना किसी आधार पर इन व्यक्तियों के पक्ष में मुआवजा तय कर दिया जो शुरू से ही अस्वाभाविक है तथा इन सब क्वार्टरों का मुआवजा राशि प्राप्त करने का एक मात्र कानूनन अधिकारी प्रार्थी ही था । अतः प्रार्थी का प्रार्थना

जिला कलक्टर
कोटा

पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त आराजियात पर अप्रार्थी कम 1 व 2 के द्वारा जारी निर्णय दिनांक 9.8.2019 बाबत मुआवजा राशि दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

4. वकील अप्रार्थी नं0 1 ने अपने जवाब एवं बहस में मुख्यरूप से कथन किया है कि ग्राम कूकड़ाखुर्द तहसील रामगंजमण्डी में खसरा नम्बर 371 की रकबा 0.0539 हे0 व ख0नं0 372 रकबा 0.0777 हे0 कृषि बारानी द्वितीय रोडू वल्द कान्हा जाति भील सा0 खीमच वाके ग्राम कूकड़ाखुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52) के 289.500 कि.मी. से 318.500 कि.मी. (उरा –तीनधार सेक्टशन) निमार्ण चौडीकरण /4–लेन का बनाने आदि अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (क) के अन्तर्गत अवाप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1900 दिनांक 13.6.1917 को जारी की गई जिसका भारत के राजपत्र में दिनांक 13.6.2017 को प्रकाशन कराया तत्पश्चात की उक्त अवाप्त भूमि के साथ साथ धारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ.3181(अ) दिनांक 29.09.2017 को जारी की जो भारत के राजपत्र में दिनांक 29.09.2017 को प्रकाशित की गयी तथा उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें की भूमि खसरा नम्बर 371 की 0.0539 हे0 व 372 की 0.0777 हे0 निजी किस्म बारनी द्वितीय सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत अवाप्तसुदा भूमि का मुआवजा राशि का निर्धारण, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3–जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत नियमानुसार किया गया । अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार किया गया है जो विधि सम्मत एवं उचित है । वर्तमान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत की गई है । उपरोक्त आपत्तियां बिना एक दूसरे पर प्रभाव डाले प्रस्तुत की जा रही है जिनसे स्पष्ट है कि अवाप्तशुदा भूमि एवं परिसम्पत्तियों की जो मुआवजा राशि निर्धारित की गई है वह पूर्णतःविधि के प्रावधानों के अन्तर्गत ही निर्धारित की गई है, प्रार्थी इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है ।

जिला कलक्टर
कोटा

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, के तहत प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की भूमि ग्राम कूकडाखुर्द के खसरा नम्बर 371 की 0.0539 हे0 372 की 0.0777 हे0 भूमि एवं उक्त भूमि में बने हुए क्वार्टर उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52) के 289.500 कि.मी. से 318.500 कि.मी. (उरा –तीनधार सेक्टशन) निमार्ण चौडीकरण /4–लेन का बनाने आदि अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए अवाप्ति हेतु एवार्ड दिनांक 09.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत किया है । उक्त अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 371 की 0.0539 हे0 372 की 0.0777 हे0 जिसमें मजदूरों के क्वार्टर बने हुए है इस भूमि का खातेदार रोडू पुत्र कान्हा ही है तथा यह भूमि लीज क्षैत्र के पास होने से खनन क्षैत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए क्वार्टर बने हुए है जिनका मुआवजा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तहसीलदार रामगंजमण्डी एवं विकास अधिकारी अधिकारी पंचायत समिति खैराबाद से रिपोर्ट प्राप्त करने पश्चात उक्त भूमि पर बने हुए क्वार्टरों का भुगतान इस आधार पर किया गया पाया है कि उक्त मजदूर इन क्वार्टरों में लगभग 40 वर्ष से निवासरत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त मजदूरों को शोचालय प्रोत्साहन योजना की राशि का भुगतान किया गया है, तथा कब्जे के आधार पर मुआवजे का भुगतान उक्त भूमि में निवासरत मजदूरों के नाम तय किया गया है, किन्तु न तो उक्त भूमि के खातेदार उक्त मजदूर है ओर ना ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा आदि जारी किया जाना जाहिर आया है । केवल कब्जे के आधार पर ही भुगतान किया गया है । प्रकरण में यह जांच अपेक्षित है कि क्या इन क्वार्टरर्स का निमार्ण उनमें रहने वाले मजदूरों के द्वारा करवाया गया है अथवा प्रार्थी खातेदार द्वारा ? यदि इन क्वार्टरों का निमार्ण खातेदार द्वारा कराया गया है तथा इन मजदूरों को केवल रहने के लिए ही दिये हुए है तो मजदूरों का मालिकाना हक कैसे सिद्व माना गया है । चूंकि मजदूरों के हक में ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है और ना ही कोई सरकारी सुविधा का लाभ दिया जाना बताया है, यदि इन क्वार्टरों में रहने वाले मजदूरों के पास कोई खातेदार की सहमति आदि कोई दस्तावेज हो तथा कब्जे के आधार के सम्बन्ध में कानूनी बिन्दुओं के आधार परे इसकी जांच कराई जाकर भुगतान सम्बन्धी निर्णय हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है ।

6. **परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिकरूप से स्वीकार किया जाकर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में जांच करें कि क्या इन क्वाटर्स का निमार्ण उनमें रहने वाले मजदूरों के द्वारा करवाया गया है अथवा प्रार्थी खातेदार द्वारा ? मजदूरों के हक में ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है ओर ना ही शोचालय प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त कोई**

जिला कलक्टर
कोटा

सरकारी सुविधा का लाभ दिया जाना बताया है, यदि इन क्वार्टरों में रहने वाले मजदूरों के पास कोई भूमि के टाईटल सम्बन्धी दस्तावेज हो जिससे इनका मालिकाना हक साबित होता हो तथा कानूनी बिन्दुओं के अनुसरण में गहनता से जांच कराई जाकर भुगतान सम्बन्धी निर्णय लिया जावें ।

7. निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा